**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1030**
**दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**जेल सुधार**

**1030 श्री संजय कुमार झा:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य जेल प्राधिकारियों को कितनी धनराशि आवंटित और स्वीकृत की गई है;**
**(ख) आदर्श कारागर नियमावली, 2016, विशेष रूप से कैदियों की शिक्षा (अध्याय XIII), व्यावसायिक प्रशिक्षण (अध्याय XIV) और कल्याण (अध्याय XV) में उल्लिखित उपायों, को शीघ्र अपनाने की दिशा में किए गए प्रयासों पर कितना व्यय किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**
**(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान जेल प्राधिकारियों द्वारा तालुका जेलों और जिला जेलों के लिए आवंटित और स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**
**(घ) क्या मंत्रालय ने जेलों में भीड़भाड़ को देखते हुए जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए जेल प्राधिकारियों हेतु बजट आवंटन बढ़ाने पर विचार किया है; और**
**(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय ने राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जेल प्राधिकरणों को 275 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', 'राज्य सूची' के विषय हैं। अत:, कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जो कैदियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कल्याण आदि के लिए उपयुक्त धनराशि आवंटित करने के लिए सक्षम हैं।

(ग): इस संबंध में विशिष्ट जानकारी केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कारागारों में भीड़भाड़ के मुद्दे के समाधान के लिए कारागारों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने के लिए सक्षम हैं।

*****